बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना – 800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215811 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

Press Release

दिनांक :– 23.06.2015

बिहार विधान परिषद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन, 2015 में अभ्यर्थी व्यय के नियमित अनुश्रवण, अघोषित सम्पत्ति तथा ब्लैक मनी के उपयोग को रोकने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने के संबंध में आज सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों तथा पुलिस अधीक्षकों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक की गयी। इस बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के साथ–साथ पुलिस विभाग से अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), अपर पुलिस महानिदेशक (विधि व्यवस्था), व्यय अनुश्रवण हेतु पुलिस नोडल पदाधिकारी तथा आयकर विभाग की ओर से व्यय अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी उपस्थित हुए।

बैठक में सभी जिलों को अभ्यर्थियों की ओर से निर्वाचकों को प्रलोभन दिये जाने संबंधी शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई करने, जिला स्तर पर फ्लाईंग स्क्वैड का गठन करने, अभ्यर्थी व्यय के अनुश्रवण हेतु अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग बनाने, शिकायत प्राप्त करने हेतु हेल्पलाईन नं0 को प्रचारित करने तथा व्यय अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी नामित करने का निदेश दिया गया।

आयकर विभाग को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ब्लैक मनी का उपयोग रोकने के संबंध में विशिष्ट निदेश निर्गत किया गया है। आयकर महानिदेशक (अन्वेषण) को संबोधित पत्र में जन शिकायत कोषांग का गठन करने, टॉल फ्री नं0 प्राप्त कर उसे शिकायत देने हेतु प्रचारित करने, सभी हवाई अड्डों, मुख्य रेलवे स्टेशन, होटल, फार्म हाऊस, बिचौलिया, नगद कुरियर तथा अन्य संदिग्ध पर विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया है ताकि अघोषित नगदी के आवागमन पर प्रभावी रोक लगायी जा सके। उन्हें अपने स्तर से अभ्यर्थियों द्वारा प्रचार पर किये जा रहे अत्यधिक व्यय तथा नगदी के वितरण की सूक्ष्म निगरानी करने के संबंध में भी निदेश दिया गया है।

आयोग द्वारा सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाकर उन्हें निदेशों से अवगत कराने का अनुरोध किया गया है। इस क्रम में दिनांक 24.06.2015 को सभी राजनीतिक दलों की बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में आहूत की गयी है जिसमें उन्हें आयोग के निदेशों से अवगत कराया जायेगा।

****